



३०५/।।

दूसरा— 2228709
2228710

नव घोटा केन्द्र, 10 जारीका मार्ग, सखिनऊ-220001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 2196 / 05/76 / एक / 2015-16
सेवा में

दिनांक : 25 अगस्त 2015

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-लखनऊ।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूबा द्वारा आपके जनपद (हूडा) को अत्यसंख्यक बाहुल्य वरितियों तथा मलिन वरितियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी द्वेत्रों की अत्यसंख्यक बाहुल्य वरितियों तथा मलिन वरितियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:

धनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
एफिस बैंक	914010005805018	IFSC Code UTIB0000355	8.132
(धनराशि लाख रु० में)			

क्र० रु०	जनपद का नाम	अत्यसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किसी की धनराशि का प्रेषण
1	लखनऊ	मलिन इस्ती-83 बजट	न००७० लखनऊ	म०१० सिन्धु नगर गोपाल नगर में नन्हे राहू चौराहे रो भुवनेश के मकान होते हुये केवी० सक्सेना के मकान तक नाली व इण्टरलाकिंग कार्य।	8.132
	योग				8.132

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी द्वेत्रों की अत्यसंख्यक बाहुल्य वरितियों तथा मलिन वरितियों में सी०री० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- उठप्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी द्वेत्रों ली अत्यसंख्यक बाहुल्य वरितियों तथा मलिन वरितियों में सी०री० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत दी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार जारी कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं जनर्म रागात्म होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित फोटोग्राफी में रखा जाये।
- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना राम्भित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय रखायित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकआप न कर लिया जाये।
- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर पर तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेद यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्ति में सभ्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्बन्धित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें धारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय वाप्ति के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुरितका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- परिराम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुद्धित रथ-रथाव में कोई वाया उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिराम्पत्तियों के रूजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।



304/2

दूसरा प्र 2206709

2206710

नव घटना केन्द्र, 10 अशोक नगर, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 8— योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अपशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अपाधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अपशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9— उक्त धनराशि द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जावेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10— प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य य स्थानीय करों की स्त्रोत पर कठीनी सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11— अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। यिसी प्रकार का व्यवहार अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अधिकारी कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरापुत्री हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के राम्यान्धित अधिकारी संगुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12— शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगमन के सापेक्ष द्वितीय विश्वा की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि एवं द्वितीय किश्त में 20 प्रतिशत की धनराशि रोककर रोप धनराशि अवमुक्त हो जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्ताप्रक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

मद्दीय,

(लाल प्रताप सिंह)
पिता नियन्त्रक
W

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतोलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

- परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
- अपर निदेशक, सूडा।।।
- अधिकारी अधिकारी—सूडा
- कम्यूटर रोल/लेखा विभाग—सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
पिता नियन्त्रक
W